

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-18, बाराबंकी।
चालानी वाद

दिनांक 17.06.2026

चालानी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा उसके वाहन सम्बंधी चालान का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर चाहा गया।

आदेश

सम्बंधित चालानी वाद जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

(सुधा सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं. 18, बाराबंकी।